न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर०ए०एस०)

अपील संख्या : 2023/70

1. मांगीलाल पुत्र श्री रामकल्याण(मृतक) जरिये कायम मुकामान
   1/1 श्रीमती रामनारायणी बाई पत्नी श्री मांगीलाल जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
   1/2 हरिप्रकाश पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
   1/3 परमा बाई पुत्री स्व0 श्री मांगीलाल पत्नी प्रेमशंकर जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
   1/4 कमलेश पुत्री स्व0 श्री मांगीलाल पत्नी श्री मुकुट बिहारी जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।

—–अपीलान्टगण

बनाम

1. रामचरण पुत्र स्व0 रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
3. हरिओम पुत्र श्री बाबूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम भैरूजी की गली तहसील मांगरोल जिला बांरा राज0।

—–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री विद्याशंकर गोस्वामी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री मुकेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 03 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 13.09.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ईटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 16/05 में पारित निर्णय एवं अंतिम डिकी दिनांक 02.03.2007 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की जमाबंदी

संवत् 2058 से 2061 की खाता सं0 110 में ख0 नं0 89 रकबा 3.15 हेक्टेयर, खसरा नं0 129 रकबा 1.19 हे0, ख0 नं0 129/703 रकबा 1.23 हे0, ख0 नं0 273 रकबा 0.12 हे0, ख0 नं0 484 रकबा 0.70 हे0 कुल किता 5 रकबा 6.39 हे0 नहरी द्वितीय स्थित है। जिसमें वादी व प्रतिवादी नं0 01 का 1/2–1/2 हिस्सा है और संयुक्त खातेदारी में है। वादी व प्रतिवादी अपने अपने हिस्से के मुताबित अपनी अपनी भूमि पर काबिज है तथा काश्त करते है। जमाबंदी संलग्न है। विवादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी के संयुक्त खातेदारी की है। तथा दोनो के मध्य आज से लगभग 25 साल पूर्व आपसी सहमति से बंटवारा हो चुका है और बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी अपने–अपने हिस्से में आई उपरोक्त आराजी पर लगातार काश्त करते आ रहे है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में बंटवारा नहीं होने से वादी को अपने खेत में सुधार करने, ट्युबवैल लगाने तथा कर्ता पिलाई, जमा कराने व ऋण लेने आदि में असुविधा हो रही है और प्रतिवादी भी वादी के हिस्से की भूमि में उपरोक्त कार्यों में बाधा उत्पन्न करने लगा है, इस कारण उसके लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह विवादग्रस्त आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बंटवारा कराकर पृथक से खाते में दर्ज करावे। प्रतिवादी को दिनांक 20.03.2005 को वादी ने निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजी का बंटवारा करवा लेवे ताकि होने वाला विवाद समाप्त हो जावे। इस पर प्रतिवादी ने वादी को धमकी दी कि कोई बंटवारा नहीं करूंगा और न ही तुझे विवादग्रस्त भूमि जो तेरे हिस्से में है, उसमें भूसुधार करने दूंगा तथा तुझे तेरे हिस्से की भूमि से बेदखल करूंगा। इस कारण वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह विवादित आराजी का बंटवारा करावें, इसलिये विवादित आराजी का बंटवारा कराने हेतु पेश किया है। अन्त में वाद प्रस्तुत कर इस आशय की डिक्री फरमाने का निवेदन किया कि उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित आराजी में से वादी का 1/2 हिस्सा घोषित किया जाकर 1/2 कृषि आराजी खातेदारी में पृथक से दर्ज की जावे तथा पृथक से लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इसका अमल दरामद किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 02.03.2007 के द्वारा विभाजन रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के पक्षकार के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की जाकर वादी एवं प्रतिवादी नं0 01 का खाता पृथक पृथक कर लगान भी पृथक दर्ज किये जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.03.2007 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी के निर्णय के अधीन मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये

सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिकी दिनांक 02.03.2007 की पूर्व में प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थी। उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 01.03.2023 को हुई, निर्णय व डिकी की जानकारी व केता हरिप्रकाश द्वारा विवादित भूमि पर जाकर प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी देने पर हुई जिस पर प्रार्थीगण कोटा आकर अपने अधिवक्ता से संपर्क किया और व्यथित डिकी व निर्णय की एवं राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपीयां प्राप्त कर पैसो का इंतजाम करने के बाद अविलंब न्यायालय हाजा में यह अपील प्रस्तुत की है। अपील पेश करने में हुई देरी सदभाविक व क्षमा योग्य होने से देरी न्यायहित में कन्डोन की जाकर अपील अपीलांटान स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षमा किये जाने तथा अपील अवधि मध्य स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट कम 01 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 03 के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

7. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी व अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 कम 01 द्वारा रेस्पो0 कम 03 अपने दावा में पक्षकार नहीं बनाया गया था क्योंकि उसके द्वारा षडयंत्र पूर्ण तरीके से अपीलांट के बाला–बाला एक तरफा रूप से विवादित भूमि के बंटवारे की डिकी प्राप्त करते हुए डिकी में प्राप्त हिस्से को दावा में निर्णय के बाद रेस्पो0 कम 03 को अवैधानिक तरीके से बैचान किया गया है जिसके आधार पर वह अपने आप को विवादित भूमि का मालिक बताते हुए अपीलांटान को बेदखल करने की धमकियां दे रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पो0 कम 03 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपने कथन में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 02.03.2007 विधि विरूद्ध एवं न्यायिक संचिका के निहित तथ्यों के सर्वथा विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में निहित साक्ष्य व दस्तावेजात का

भलिभांती विवेचन न कर कयास के आधार पर अपना उक्त निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा–53 आर0 टी0 एक्ट की मूल भावना का उल्लंघन करते हुए एवं राजस्व मण्डल के नियम संख्या–18 से 21 का वोईलेशन करते हुए एकतरफा अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी विधिक त्रुटि की है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अवैधानिक तामील के आधार पर उसके विरूद्ध एक तरफा डिक्री पारित करने में भारी विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री के आधार पर रेस्पो0 कम 01 ने राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करवा कर बंटवारे में अपने हिस्से में प्राप्त की गयी कीमती भूमि को रेस्पो0 कम 03 के पक्ष में बेनामी रजिस्ट्री करवा देने व छल पूर्ण तरीके से अपीलांट के बाला–बाला रेस्पो0 कम 03 को अपना हिस्सा विक्रय कर दिया किन्तु मौके पर आज तक भी उसे कब्जा नहीं संभलाया है जबकि अपीलांट का पूर्व में दोनों भाईयों के मध्य हुये मौखिक बंटवारे के अनुसार अपने 1/2 हिस्से की 3.20 है0 आराजियात पर निरंतर एवं अभाद रूप से कब्जा चला आ रहा है। सभी सारगर्भित तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर उसके विरूद्ध एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी विधिक त्रुटि की है। रेस्पो0 कम 03 द्वारा दिनांक 01.03.2023 को अपीलांट के कब्जे काश्त की 1/2 हिस्से की भूमि पर मौके पर जाकर उन्हें जबरन ताकत के बल पर विवादित भूमि से अपने आप को भूमि का मालिक बताते हुए बेदखल करने की धमकी देने पर अपीलांटान को बंटवारे के दावा के अंतिम रूप से पारित की गयी डिक्री दिनांक 02.03.2007 की व बैचान दिनांक 15.07.2016 की सर्वप्रथम जानकारी हुयी। इस प्रकार अंतिम डिक्री की जानकारी की तिथि से उक्त अपील अविलंब माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतः विधि के विरूद्ध है तथा गैर–कानूनी है, इसलिए मियाद के बिन्दु की बजाय मैरिट पर निर्णय पारित होना चाहिए। धारा 5 के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रकरण को मेरिट पर सुना जाए। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी नियमों की अनदेखी कर निर्णय व डिक्री पारित की है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 02.03.2007 को खारिज फरमाने का निवेदन किया।

8. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने बहस प्रारंभ करते हुए कथन किया कि सर्वप्रथम प्रकरण में मियाद के बिन्दु पर निर्णय किया जाए। माननीय उच्च न्यायालयों के इस सम्बंध में कई निर्णय है कि सर्वप्रथम लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र को निस्तारित किया जाना चाहिए। रेस्पोडेन्ट कम 03 के विद्वान् अभिभाषक ने जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पेश कर कथन किया कि अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट की मद नंबर 01 में वर्णित अधीनस्थ

न्यायालय के निर्णय व डिकी की पूर्व में प्रार्थीगण को कोई जानकारी न होना एवं उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 01.03.2023 को होना मिथ्या वर्णित होने से स्वीकार नहीं है। वास्तविकता यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिकी दिनांक की प्रार्थीगण/अपीलांट को प्रारंभ से ही जानकारी रही है तथा उक्त डिकी के अनुसार अपीलांट व रेस्पो0 कम 01 के नाम राजस्व रिकार्ड के खाते में दर्ज हो चुके है और उसी अनुसार अपीलांट व रेस्पो0 कम 01 काबिज काश्त रहे है। रेस्पो0 कम 01 द्वारा अपने खाते की अपील में वर्णित भूमि का बेचान जरिये विकय पत्र रेस्पो0 कम 03 को कर कब्जा सुपुर्द कर दिया है और रेस्पो0 कम 03 उक्त भूमि पर काबिज काश्त निरंतर चला आ रहा है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिकी की जानकारी प्रारंभ से है और उसके द्वारा अपने हिस्से में दर्ज खातेदारी की आराजी पर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा इटावा से कृषि ऋण प्राप्त कर रखा है तथा अपीलांट की उक्त भूमि पर रहन का इंतकाल भी बैंक के पक्ष में दर्ज रहा है। जमाबन्दी संवत् 2070-73 में जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है तथा रेस्पो0 कम 01 ने अपने हिस्से की भूमि जो वर्ष 2017 में रेस्पो0 कम 03 को विकय की थी जो खरीद के उपरांत से ही रेस्पो0 कम 03 के कब्जे व काश्त में चली आ रही है तथा रेस्पो0 कम 03 ने अपने कब्जे व खाते की कृषि आराजी पर एक्सिस बैंक से कृषि ऋण ले रखा है। इस प्रकार अपीलांट को उक्त बंटवारे की जानकारी दिनांक 01.03.2023 से काफी समय पूर्व से है तथा उन्होंने उनके हिस्से की कृषि आराजी पर काफी समय से कृषि ऋण ले रखा है किन्तु समस्त तथ्यों को छिपाते हुए माननीय न्यायालय में झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त धारा 05 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके कारण अपीलांट/प्रार्थीगणो की उक्त अपील मियाद कारण बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार निर्णय व डिकी दिनांक 02.03.2007 पारित की है। अपीलांट क्लीन हैंड से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है। अपीलांट का धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना-पत्र में अंकित कथन कानूनन सही नहीं है तथा प्रार्थना-पत्र धारा 96 सी.पी.सी. खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत रूप से बंटवारा किया है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने न्यायिक दृष्टांत 2008(8) एस.सी.सी. पेज 321, 2022(2) आर.आर.टी. पेज 1410 प्रस्तुत किये। अंत में अधिवक्ता रेस्पो0 ने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अपील खारिज फरमाने का निवेदन किया।

9. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। हम अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के इस तर्क से सहमत है कि प्रकरण में सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर अपीलांट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम को निस्तारित किया जाना उचित होगा। धारा 5 के प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी अपीलांट ने प्रश्नगत निर्णय व डिकी दिनांक 02.03.2007 की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 01.03.

2023 को होना अंकित किया है। अधिवक्ता अपीलांट का इस सम्बंध मे यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के विपरीत है एवं अपीलांट को इसकी जानकारी नहीं थी क्योंकि निर्णय व डिक्री दिनांक 02.03.2007 बिना उन्हे सुने एकतरफा रूप से पारित किए गए है, इसलिए विलम्ब की अवधि को क्षमा कर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाए। इस सम्बंध में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम पर जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया तथा मौखिक बहस में भी कथन किया कि अपीलांट प्रार्थी को प्रश्नगत निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.03.2007 की प्रारंभ से ही जानकारी थी, इन्होने विवादित भूमि के विभाजन के बाद बैंक से ऋण भी लिया है, तथा आगे कथन किया कि अपीलांट प्रार्थी ने मिथ्या व गलत कथन अंकित किए है। हमने इस सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 08.06.2005 पर अंकित है कि, "पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप। प्रति 1 मांगीलाल का सम्मन बाद तामील प्राप्त। बावजूद सूचना के अनु. एकतरफा की जाती है। प्रति 2 जवाब सरकार हेतु दिनांक 18/6/05 को पेश हो।" अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का कथन है कि पक्षकारान आपस में भाई थे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मांगीलाल को जारी सम्मन नोटिस के पृष्ठ भाग पर उसके पुत्र द्वारा तामील होना अंकित है तथा इस पर मांगीलाल के पुत्र हरिप्रकाश के हस्ताक्षर भी अंकित है तथा हरिप्रकाश हस्तगत अपील में अपीलांट है। हमने अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 का अवलोकन किया जिसके अनुसार ग्राम प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की नया खाता संख्या 122 की खसरा संख्या 129, 853/273, 854/484, 863/89 कुल किता 4 कुल रकबा 3.20 हैक्टेयर भूमि मांगीलाल पुत्र रामकल्याण जाति मीना सा.देह रहन एस.बी.बी.जे. इटावा दर्ज रिकॉर्ड है। प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 का अवलोकन किया जिसके अनुसार ग्राम प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की नया खाता संख्या 200 की खसरा संख्या 129/793, 273, 484, 89पूर्वी कुल किता 4 कुल रकबा 3.19 हैक्टेयर भूमि हरिओम पुत्र बाबूलाल हिस्सा–पूर्ण जाति मीणा सा. मूडली खातेदार अ.विव. नामा न. 660, 661, 686 रहिन(पूर्ण खाता) एक्सिस बैंक शाखा बारां, दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलांट ने उसके हिस्से मे आई भूमि पर बैंक से ऋण लिया है। हमारे मत में प्रार्थी अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय व डिक्री की जानकारी थी तथा उनका दिनांक 01.03.2023 को जानकारी होने का कथन विश्वसनीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 02.03.2007 की है तथा न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 05.04.2023 को प्रस्तुत की है। अपीलांट ने 16 वर्ष 1 माह 3 दिन पश्चात अपील प्रस्तुत की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनयम की धारा 228 के अनुसार न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने की समयावधि 60 दिवस निर्धारित है। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई जिससे स्पष्ट होता है कि

प्रतिवादी(अपीलांट के पिता व पति) को अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण की जानकारी हो गई थी। अपीलांट द्वारा बैंक से ऋण लिया गया है। अपीलांट ने लगभग 16 वर्ष पश्चात अपील पेश की है। इस गंभीर विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण बताने में प्रार्थी अपीलांट असफल रहे है। प्रार्थी अपीलांट के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते है। हस्तगत प्रकरण में लगभग 16 वर्ष के विलम्ब को माफ करने का कोई पर्याप्त व संतोषजनक कारण प्रतीत नहीं होता। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने के कारण खारिज की जाती है। चूंकि अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने के कारण खारिज योग्य है अतः इस पर आगे और गुणावगुण पर विवेचन की आवश्यकता नहीं है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 16/2005 में पारित अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 02.03.2007 यथावत रखा जाता है।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 13.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिकी

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2023/70

1. मांगीलाल पुत्र श्री रामकल्याण(मृतक) जरिये कायम मुकामान
   1/1 श्रीमती रामनारायणी बाई पत्नी श्री मांगीलाल जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
   1/2 हरिप्रकाश पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
   1/3 परमा बाई पुत्री स्व0 श्री मांगीलाल पत्नी प्रेमशंकर जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
   1/4 कमलेश पुत्री स्व0 श्री मांगीलाल पत्नी श्री मुकुट बिहारी जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. रामचरण पुत्र स्व0 रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
3. हरिओम पुत्र श्री बाबूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम भैरूजी की गली तहसील मांगरोल जिला बांरा राज0।

—रेस्पोडेन्ट

प्रार्थना पत्र संख्याः 16/05

रामचरण आत्मज रामकल्याण जाति मीना निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा

— वादी

बनाम

1. मांगीलाल आत्मज रामकल्याण जाति मीना निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (राज0)।

—प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त प्रार्थना पत्र संख्या 16/05 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 02.03.2007 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 13.09.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री विद्याशंकर गोस्वामी, रेस्पोडेन्ट क्रम 03 की ओर से श्री मुकेश शर्मा के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 16/05 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 02.03.2007 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 13.09.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा